Details for registration number : GOVUP/E/2025/0118811

Name Of Complainant	**Mahima Maurya**
Date of Receipt	**11/10/2025**
Received By Ministry/Department	**Uttar Pradesh**
Grievance Description	

Grievance to the Chief Minister, Government of Uttar Pradesh
To,

The Hon'ble Chief Minister Government of Uttar Pradesh Chief Minister's Office, Lucknow, U.P.

Through: Public Grievance Section-3 (Hon'ble Chief Minister's Office)

Subject: Representation Against the Arbitrary and Inconsistent Report of the Superintendent of Police, Mirzapur, in Grievance No. GOVUP/E/2025/0090520, Concerning the Illegal Detention of Pramod Kumar Kushwaha.

Applicant: Mahima Maurya, W/O Pramod Kumar Kushwaha, R/O Godsar Sarpati, P.S. Vindhyachal, Distt. Mirzapur. Contact: 9198010433

Date: Insert Current Date

Respected Sir,
I am writing to express my profound dissatisfaction and to challenge the official report dated September 03, 2025, submitted by the Superintendent of Police, Mirzapur, in response to my original grievance (Registration No. GOVUP/E/2025/0090520).

The report, which led to the closure of my case, is arbitrary, inconsistent, and fails to address the core issue of my submission, demonstrating a clear attempt by the local police to concoct a story and avoid accountability.

The Original Grievance vs. The Police Report
Core Issue of Grievance (Dated 09/08/2025)
Illegal Detention: My husband, Pramod Kumar Kushwaha, was illegally detained on 14th September 2024 and charged under Sections 170/126/135 of BNSS (Bharatiya Nyaya Sanhita).
The Police Report's (CO City) Narrative (Dated 02/09/2025)
Dispute Only: The report focuses on a family dispute between my husband and his brother,

resulting in two cross-NCIs (104/24 & 105/24).
Applicant Demands for Compensation: I specifically demanded Rs. 25,000 compensation as per the Government of Uttar Pradesh Circular dated 9th September 2021 for illegal detention under Section 151 CrPC (or corresponding provision in BNSS).
CO City in his report Omission of Compensation: The report completely ignores and fails to mention the demand for compensation and the relevant government circular, which is the primary legal basis of my complaint.
Applicant in grievance, Demand for Inquiry: I requested a departmental inquiry against the officers responsible for the unlawful detention.
CO City in his report, Focus on NCR Investigation: The report concludes by stating that an investigation into the old NCIs is "ongoing," thus deflecting from the immediate administrative and legal issue of the unlawful detention itself.

Manifest Discrepancies and Need for Intervention
The police report of the Circle Officer, City, Mirzapur, is clearly a concocted story of deflection:

Arbitrary Closure: The Superintendent of Police's office closed the grievance (Case Closed 03/09/2025) without addressing the main concerns—the illegal detention and the mandated compensation. This action is a direct disregard for the government's own circular and grievance redressal mechanism.

Contradictory Detention Details: The accompanying General Diary (GD) Entry No. 057 dated 14/09/2024 proves the detention, stating two persons, including Pramod Kumar Kushwaha, were arrested under Section 170/126/135 BNSS. However, the subsequent investigation report attempts to obscure this by focusing on a different, old family dispute (the NCIs), suggesting the detention was merely a related administrative action rather than an illegal deprivation of liberty.

Misleading Conclusion: The report states: "The investigation so far has not yielded any corroborative evidence regarding the other allegations made in the applicant's application," yet it provides no reasoning as to why the specific allegation of illegal detention for more than 24 hours without judicial order (a violation of constitutional rights and procedural law) is not corroborated, despite the GD entry confirming the arrest.

Prayer for Justice and Accountability
In light of the Mirzapur police's attempt to dismiss a serious complaint of illegal detention through an inconsistent and deflective report, I humbly request your Hon'ble Office to:

Current Status	**Case closed**
Date of Action	**04/11/2025**
Remarks	

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है महोदय, जाँच आख्या संलग्न है

Officer Concerns To	
Officer Name	**Shri Arvind Mohan (Joint Secretary)**
Organisation name	**Government of Uttar Pradesh**
Contact Address	**Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow**
Email Address	**arvind.12574@gov.in**
Contact Number	**05222226350**

Reminder(s) / Clarification(s)

Reminder Date	Remarks
11/10/2025	**Direct the Senior Superintendent of Police, Mirzapur, to submit a revised, fact-based report that specifically addresses and provides a clear finding on the illegal detention of Pramod Kumar Kushwaha on 14th September 2024.** **Order the immediate release of the mandated compensation of Rs. 25,000 to Pramod Kumar Kushwaha, as per the Government of Uttar Pradesh Circular dated 9th September 2021, for his illegal detention.** **Initiate a departmental inquiry against the Circle Officer, City, Mirzapur, for submitting a misleading and evasive inquiry report and against the officers responsible for the original unlawful detention.** **My husband's constitutional right to liberty was violated. The attempt by the local police to cover up this action undermines public trust. I rely on your intervention to ensure that justice is not only done but is seen to be done, upholding the dignity of citizens and the credibility of the grievance redressal system.** **Sincerely,** **Mahima Maurya (W/O Pramod Kumar Kushwaha)**

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।

पत्रांकःआईजीआरएस-11/2025

दिनांकः नवम्बर 04 ,2025

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3
(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्याः 60000250241970 दिनांक 17-10-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदिका श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासिनी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर, के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती महिमा मौर्या उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक नगर, जनपद मीरजापुर द्वारा करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद मीरजापुर।

<u>आईजीआरएस/सीएम हेल्पलाइन सन्दर्भ संख्या:</u> 60000250241970

दिनांक- 31.10.2025

1.	शिकायतकर्ता का नाम, पता व मो0नं0	शिकायतकर्ता श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मो0नं0- 9198010433।
2.	विपक्षी का नाम पता व मो0नं0	मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र रामबली निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मो0नं0- 9792677996।
3.	जाँच अधिकारी का नाम, पद व मो0नं0	अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मीरजापुर।
4.	प्रकरण में FIR दर्ज है, तो FIR का पूर्ण विवरण	आवेदिका महिमा मौर्या के पति प्रमोद कुमार कुशवाहा की लिखित तहरीर पर दिनांक 14.09.2024 को ही थाना विन्ध्याचल मे एनसीआर संख्या 104/2024 धारा 115(2),352 बीएनएस बनाम 1. मनोज कुमार कुशवाहा व शुभम कुशवाहा के दर्ज कराया गया।
5.	विवाद की श्रेणी (जमीन/धरेलू/अपराधिक/अन्य विवाद)	अन्य विवाद।
6.	शिकायत / आरोप का संक्षिप्त विवरण	विपक्षी द्वारा मार पीट करने के संबंध में।
7.	आवेदक/शिकायतकर्ता का बयान	निल।
8.	विपक्षीगण के बयान	निल।
9.	स्वतन्त्र साक्षी का बयान (नाम, पता, मो०नं०)	निल।

10	विवाद को लेकर पूर्व में अपराध हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो का पूर्ण विवरण जैसे FIR, NCR, 151/107/116CrPc अथवा170/126/135B.N.S.S आदि कार्यवाही	निल।	
11	यदि प्रकरण भूमि विवाद से सम्बन्धित है तो मौके पर गयी संयुक्त टीम व राजस्व टीम का नाम व मोबाईल नम्बर व राजस्व कीआख्या सहित कृत कार्यवाही का परिणाम अंकित किया जाये	निल।	
12	विवाद की दशा में धारा 107/116CrPc अथवा 126/135BNSS की कार्यवाही में कितनी धनराशि के मुचलकों से पाबन्द किया गया, धारा 117CrPc की पा बन्दी का आदेश संलग्न करे पूर्ण विवरण	निल।	
13	विवाद को लेकर शरीर सम्बन्धी अपराध कारित हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो विवेचनात्मक कार्यवाही का विवरण	निल।	
14	प्रकरण में क्या वादी या किसी पक्ष द्वारा UP-112 को सुचित किया गया है या नहीं।	निल।	
15	प्रकरण में धारा 151CrPc अथवा 170 BNSS की कार्यवाही एक पक्षीय या द्विपक्षीय की गयी तथा आरोपियों कोमजिस्ट्रेट के समक्ष किसी तिथि को प्रस्तुत किया गया।	दोनो पक्षों का दिनांक 14-09-2024 170/126/135 BNSS की कार्यवाही की गयी है।	
16	प्रकरण के सम्बन्ध में यदि मा० न्यायालय में कोई वाद प्रचलित है, तो मा०न्या० नाम/वादसंख्या/वाद की अद्यतन स्थिति पूर्ण विवरण।	निल।	
17	जाँच अधिकारी के मौके पर जाने का दिनांक तथा गुगल शीट फोटो (अक्षांश देशान्तर सहित)...।	25.165137 82.381023	
18	प्रार्थना पत्र पहली बार दिया गया है या पूर्व में दिया जा चुका है यदि पूर्व में दिया गया है तो उसका तिथिबार विवरण तथा परिणाम।	अब तक कुल 30 प्रार्थना पत्र दे चुकी है 01-10-24 के 03,08-10-24 को01,08-10-24 को01, 22-10-24 को01,26-10-24 को01, 04-11-24 को01,15-11-24 को01, 27-11-24 को01, 05-12-24 को01, 14-12-24 को01, 23-12-24 को01, 03-01-25 को01,12-01-25 को01,17-01-25 को01 , 26-01-25 को01 , 29-01-25 को01,13-02-25 को01,05-03-25 को01,10-03-25 को01,01-04-25 के 02 ,16-04-25 का01 ,17-04-25 को01,20-04-25 को01 ,30-04-25 को01, 01-05-25 को01 ,02-05-25 को01 ,24-05-25 के 02	
19	प्रकरण में यदि कोई समझौता हुआ है तो समझौते की प्रति संलग्न करे।	निल	
20	धोखाधड़ी के मामलों में पैसे लेने का पूर्ण विवरण निल।	निल	
21	जमीनी बैनामा धोखाधड़ी में तहसील रजिस्टर्ड कार्यालय से आख्या प्राप्त करके अपलोड करें।	निल	
22	मोबाईल चोरी/गुम हो जाने के प्रकरण में सर्विलांश शाखा को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें	निल	
23	पति-पत्नी सम्बन्धी घरेलू विवादों में सुलह समझौता मध्यस्थता केन्द्र को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति सलग्न कर पूर्ण विवरण अंकित करें।	निल	

जाँच आख्या / विवरण / सारांश	सन्दर्भित शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच की गयी तो पाया गया कि शिकायतकर्त्री श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर की मूल निवासिनी है। आवेदिका के पति प्रमोद कुमार व विपक्षी मनोज कुमार कुशवाहा आपस मे सगे भाई है जिनके मध्य पुरानी रंजीश को लेकर आपस मे दिनाँक 14.09.2024 को मार पीट किया गया था। जिसके संबंध में आवेदिका महिमा मौर्या के पति प्रमोद कुमार कुशवाहा की लिखित तहरीर पर दिनांक 14.09.2024 को ही थाना विन्ध्याचल मे एनसीआर संख्या 104/2024 धारा 115(2),352 बीएनएस बनाम 1. मनोज कुमार कुशवाहा व शुभम कुशवाहा के दर्ज कराया गया जबकि इसी घटना के संबंध मे विपक्षी सरोजा देवी की तहरीर पर आवेदिका महिमा कुशवाहा व उनके पति प्रमोद कुमार के विरुद्ध थाना विन्ध्याचल में एनसीआर संख्या 105/2024 अन्तर्गत धारा 115(2), 352 बीएनएस दर्ज कराया गया है। जाँच के क्रम मे उभयपक्षों के विरुद्ध दिनाँक 14.09.2024 को निरोधात्मक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया। था। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका से जरिये दूरभाष वार्ता करने पर आवेदिका महिमा मौर्या द्वारा बताया गया कि विपक्षीगणो को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया है तथा एनसीआर की विवेचना में अभी तक कोई कार्यवाही नही हो रही है। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका असंतुष्ट फीडबैक दिये जाने व राज्य महिला आयोग लखनऊ सहित अन्य उच्चाधिकारीगणों को उक्त एनसीआर के सम्बन्ध में बार-बार आवेदन दिये जाने पर पुनः परीक्षण एवं उच्चाधिकारीगणों से प्राप्त निर्देश के क्रम में थानाध्यक्ष विन्ध्याचल को उक्त एनसीआर की विवेचना किये जाने हेतु मा0न्यायालय से आदेश प्राप्त कर विवेचना किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। थानाध्यक्ष विन्ध्याचल द्वारा दिनांकः 05-06-2025 को अन्तर्गत धारा 175 (3) बीएनएस आदेश मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर को प्रेषित रिपोर्ट के माध्यम से एनसीआर नं0-104/2024 धारा- 115(2)/352 बीएनएस की विवेचना किये जाने हेतु आदेश प्राप्त हुआ। आदेश के क्रम में विवेचना उ0नि0 राघवेन्द्र राय थाना विन्ध्याचल द्वारा सम्पादित करते हुए गुण दोष के आधार पर अभियुक्त मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र राम बली व शुभम कुशवाहा पुत्र मनोज कुशवाहा के विरुद्ध धारा 115(2)/352 बीएनएस मे आरोप पत्र संख्या nill/2025 दिनांक 24.10.2025 को मा० न्यायालय प्रेषित किया गया है। आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

Nitu

अपर पुलिस अधीक्षक नगर
मीरजापुर।

पत्र संख्या- एसटी-अ0पु0अ0नगर-आईजीआरएस /2025
दिनांक- अक्टूबर, ,2025